यह निरीक्षण प्रतिवेदन आख्या कार्यालय उप शिक्षा अधिकारी, चम्पावत द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार की गई है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय उप शिक्षा अधिकारी, चम्पावत के माह 06/2012 से 12/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री पवन कुमार, लेखापरीक्षक एवं श्री एस.एस.राणा, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 25.01.2019 से 30.01.2019 तक सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा है।
2. **(i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः** विकासखण्ड चम्पावत के प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों का निरीक्षण/अनुश्रवण किया जाता है। संबन्धित विद्यालयों में कार्यरत कार्मिकों के वेतन, पेंशन, जी.पी.एफ. आदि सेवा अभिलेखों का रख-रखाव का कार्य किया जाता है, एवं इकाई के अंतर्गत विकासखण्ड चम्पावत के समस्त शासकीय/अशासकीय विद्यालयों आते हैं।

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(धनराशि ₹ लाख में)

वर्ष	**प्रारम्भिक अवशेष**		**स्थापना**		**गैर स्थापना**		**आधिक्य**	**बचत**
	स्थापना	**गैर स्थापना**	**आबंटन**	**व्यय**	**आबंटन**	**व्यय**	**(+)**	**(-)**
2012-13	-	-	1322.57	1322.57	-	-	-	-
2013-14	-	-	1737.80	1737.80	-	-	-	-
2014-15	-	-	1984.32	1958.60	-	-	-	25.72
2015-16	-	-	2282.14	2269.90	10.47	10.47	-	12.24
2016-17	-	-	2514.65	2386.51	3.95	3.90	-	128.19
2017-18	-	-	2868.03	2814.46	-	-	-	53.57
2018-19 (up to 12/2018)	-	-	2522.54	2441.63	-	-	-	-

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

(धनराशि ₹ लाख में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय	अधिक्य (+)/ बचत (-)
2016-17	-	-	-	-	-
2017-18	-	-	-	-	-
2018-19 (up to 12/2018)	-	-	-	-	-

(iii) इकाई को बजट आवंटन जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) चम्पावत द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई की श्रेणी सी (C) हैं ।विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

प्रमुख सचिव/सचिव विद्यालय शिक्षा उतराखंड

↓

अपर सचिव

↓

महानिदेशक विद्यालय शिक्षा

↓

निदेशक (प्रारम्भिक शिक्षा)

↓

मंडलीय अपर निदेशक (प्रारम्भिक शिक्षा)

↓

मुख्य शिक्षा अधिकारी

↓

जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा)

↓

उप शिक्षा अधिकारी

लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में कार्यालय उप शिक्षा अधिकारी, चम्पावत की लेन देन की लेखापरीक्षा को आच्छादित किया गया है। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, चम्पावत की

लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 08/2015, 08/2016, 08/2017 एवं 12/2018 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया उक्त माहों का विस्तृत विश्लेषण किया गया। प्रतिचयन सर्वाधिक व्यय के आधार पर किया गया।

(iv) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर-1: कोषागार से आहरित धनराशि रु.149.45 करोड़ की प्रविष्टि रोकड़ बही में न किए जाने के साथ-साथ रु.27.95 लाख के व्यय वाउचर प्रस्तुत न किया जाना।

वित्तीय नियमों प्राप्ति एवं संदाय नियमावली 1983 के नियम 13 के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक आहरण एवं संवितरण अधिकारी फार्म जी.ए.आर.-3 में रोकड़ बही का रख-रखाव करेगा तथा समस्त वित्तीय लेन-देन के घटित होने पर उसमें प्रविष्टि करेगा। माह के अन्त में रोकड़ बही के अवशेष का सत्यापन एवं इस आशय का प्रमाण-पत्र स्वहस्तालेख में अंकित करेगा। इसके अतिरिक्त उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक:3/XXXVII(6)/2013, दिनाँक 02.01.2013 के बिन्दु संख्या 4.9 में ई-पेमेंट प्रणाली में दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार आहरण एवं संवितरण अधिकारी इंटरनेट की सहायता से अपने देयकों की धनराशि संबन्धित के बैंक खाते में अंतरण हो जाने के विवरण का प्रिंट प्राप्त करेंगे तथा भुगतान संबन्धित अभिलेखों यथा 11-सी पंजिका, रोकड़ बही, बिल रजिस्टर इत्यादि में इनके प्राप्त होने की प्रविष्टि यथा स्थान पर करेंगे।
कार्यालय उप शिक्षा अधिकारी, चम्पावत की लेखापरीक्षित अवधि (माह 06/2012 से 12/2018) की रोकड़ बही की जांच में पाया गया कि कार्यालय द्वारा माह 06/2012 से 12/2018 तक रोकड़ बही में केवल बैंक खाते/चैक के माध्यम से हुए भुगतानों की ही प्रविष्टि की गई है तथा ई-पेमेंट के माध्यम से हुए भुगतानों की कोई प्रविष्टि रोकड़ बही में नहीं की गई है जबकि उक्त अवधि में कार्यालय द्वारा बी.एम.-5 के अनुसार कोषागार से रु.149.45 करोड़ की धनराशि आहरित कर व्यय की गई **(संलग्नक-1)**। लेखापरीक्षा दल द्वारा विस्तृत जांच हेतु चयनित माह के व्यय वाउचरों का मिलान कोषागार के बी.एम.-5 से ही किया गया। ई-पेमेंट प्रणाली से हुए भुगतानों की प्रविष्टि रोकड़ बही में न होने के कारण उक्त व्यय की अंकगणितीय शुद्धता की जांच भी नहीं की जा सकी। इसके अतिरिक्त लेखापरीक्षा में विस्तृत जांच हेतु चयनित माह 08/2015 के रु.2226160.00 एवं माह 08/2016 के रु. 569230.00 (कुल रु.2795390.00) **(संलग्नक-2)** लाख के व्यय वाउचर लेखापरीक्षा जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किए गये जिसके कारण लेखापरीक्षा में उक्त व्यय की सत्यापन जांच नहीं की जा सकी। साथ ही दिनांक 30.11.2018 को इकाई के पदनाम खाते व रोकड़ बही में रु. 1573811.00 का अवशेष दर्ज था जिसकी मदें एवं अवशेष रहने के कारण स्पष्ट नहीं थे।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई ने अपने बिन्दुवार उत्तर में बताया कि ई- पेमेंट होने के कारण सीधे धनराशि संबंधितों के खातों में हस्तांतरित होने के कारण रोकड़ बही में प्रविष्टि नहीं की गई।आगे से प्रविष्टि अंकित कर ली जाएगी। व्यय वाउचरों के संबंध में बताया कि काफी खोजबीन के बाद भी उक्त के बिल वाउचर उपलब्ध नहीं हो पाये।इकाई द्वारा यह भी बताया गया कि जैसे ही उक्त वाउचर उपलब्ध हो जाएंगे प्रस्तुत किए जाएंगे। साथ ही पदनाम खाते में अवशेष धनराशि के संबंध में बताया कि पूर्व के वर्षों में कोषागार द्वारा शिक्षकों कि देयताओं के चैक से भुगतान, ब्याज, आर.डी. की धनराशि संबन्धित है जिसकी जांच कर तदनुसार कार्यवाही की जाएगी।

उत्तर मान्य नहीं हैं क्योंकि वित्तीय नियमानुसार आहरण एवं संवितरण अधिकारी को रोकड़ बही का रख-रखाव समुचित तरीके से करते हुए प्रत्येक लेन-देन की प्रविष्टि की जानी चाहिए थी तथा व्यय से संबन्धित वाउचरों को सुरक्षित रखा जाना चाहिए था साथ ही यदि शिक्षकों की देयताएं बाकी थी तो उनका भुगतान यथा समय किया जाना चाहिए था तथा ब्याज की राशि राजकोष में जमा की जानी चाहिए थी।

अतः कोषागार से आहरित धनराशि रु.149.45 करोड़ की प्रविष्टि रोकड़ बही में न किए जाने के साथ-साथ रु. 27.95 लाख के व्यय वाउचर प्रस्तुत न किये जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	**भाग-II'अ' प्रस्तर संख्या**	**भाग-II'ब' प्रस्तर संख्या**	**अनुपूरक नमूना लेखापरीक्षाटिप्पणी**
----------इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा है----------			

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन सं०	**प्रस्तरसंख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण**	**अनुपालन आख्या**	**लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी**	**अभ्युक्ति**
----------इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा है----------				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

"शून्य"

भाग-V

आभार

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय उप शिक्षा अधिकारी, चम्पावत तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः

शून्य

सतत् अनियमितताएः

शून्य

लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया-

क्रम सं0	नाम	पदनाम	अवधि
1.	श्री टी.आर.टम्टा	प्रभारी उप शिक्षा अधिकारी	15.11.2011 से 18.09.2012
2.	श्री शौकत अली	प्रभारी उप शिक्षा अधिकारी	19.09.2012 से 15.01.2014
3.	श्री हरेन्द्र सिंह बोहरा	प्रभारी उप शिक्षा अधिकारी	16.01.2014 से 31.03.2015
4.	श्री प्रेम सिंह	प्रभारी उप शिक्षा अधिकारी	01.04.2015 से 27.01.2015
5.	श्री हयात सिंह मियान	खण्ड शिक्षा अधिकारी अतिरिक्त प्रभारी उप शिक्षा अधिकारी	28.01.2015 से 13.03.2015
6.	श्री अंशुल बिष्ट	उप शिक्षा अधिकारी	14.03.2015 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय उप शिक्षा अधिकारी, चम्पावत को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार सामाजिक क्षेत्र कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून "248195" को प्रेषित कर दी जाये।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सा.क्षे.